न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरूण कुमार हसीजा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
नामान्तरण अपील संख्याः 02/2019
दायर दिनांकः 07.02.2019
निर्णय दिनांक 06.04.2026

—: अनवान :—

नारायणलाल पिता श्री मोतीलाल जी, जाति बायती, आयु 61 वर्ष, निवासी केलवाडा, तहसील कुम्भलगढ, जिला राजसमन्द

— अपीलान्ट

बनाम

1. महबुब खां पिता नत्थे खां जी. जाति मुसलमान, आयु वयस्क, निवासी केलवाडा, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द हाल सिरोही रोड तहसील पिंडवाडा
2. जमाल खां पिता नत्थे खां जी जाति मुसलमान, आयु वयस्क, निवासी केलवाडा, तहसील कुम्भलगढ, जिला राजसमन्द मृतक के बजाय
   2/1. परवीन बेगम विधवा स्व0 जमाल खॉ जी पठान, निवासी केलवाडा बालिका सिनियर सैकण्डरी स्कुल के पास, अकावलडी, तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द
   2/2 अब्बास अली पिता स्व0 जमाल खॉ जी पठान, निवासी केलवाडा बालिका सिनियर सैकण्डरी स्कुल के पास, अकावलडी, तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द
3. अशरफ खां पिता ईस्माईल जी, जाति मुसलमान, आयु वयस्क निवासी केलवाडा, पुलिस थाना केलवाडा, जिला राजसमन्द
4. मुस्ताक खां पिता ईस्माईल जी, जाति मुसलमान, आयु वयस्क, निवासी केलवाडा, पुलिस थाना केलवाडा, जिला राजसमन्द
5. शकूर मोहम्मद पिता श्री ईशाक मोहम्मद जी, जाति मुसलमान, आयु वयस्क, निवासी केलवाडा, पुलिस थाना केलवाडा, जिला राजसमन्द
6. लक्ष्मणसिंह पिता तलासिंह जी खरवड, निवासी हमेरपाल, तहसील कुम्भलगढ, जिला राजसमन्द
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कुम्भलगढ जिला राजसमन्द

— रेस्पोंडेन्टगण

अपील विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 1798, दिनांक 08.06.1992 तहसीलदार कुम्भलगढ, जिला राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

उपस्थित :–

1. श्री सम्पत लाल लडढा, आयुष लडढा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मुकेश तलेसरा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6
3. श्री श्याम सुन्दर पालीवाल अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2/1, 2/2 व 3, अनुपस्थित (एकपक्षीय कार्यवाही)
5. श्री अनिल बागोरा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 7

–:: निर्णय ::–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कुम्भलगढ द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 1798 फैसल दिनांक 08.06.1992 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम केलवाडा की आराजी नम्बर 289/36 रकबा 00.05 बिस्वा आराजी नम्बर 648/25 रकबा 00.12 बिस्वा एवं 429/4 रकबा 00.05 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा नत्थे पिता रमजू खान मुसलमान को मिसल नम्बर 207 दिनांक 23.01.1975 द्वारा उप जिलाधीश महोदय, राजसमन्द द्वारा अलोट की गयी, जिसका अंकन नामान्तरकरण संख्या 896 द्वारा नत्थे खां के नाम पर किया गया। इन जमीनों में से 289/36 रकबा 00.05 बिस्वा एवं 648/25 रकबा 00.12 बिस्वा भूमि में से रकबा 2 बिस्वा भूमि पर अपीलार्थी का लगभग 24–25 वर्षो से कब्जा आधिपत्य है। नत्थे खां पिता रमजू खां की मृत्यु 10.08.1991 का होना बताकर म्युटेशन कमांक 2858 द्वारा नत्थे खां की जमीनें रेस्पोडेण्ट मेहबुब खां वगैरह के नाम पर दर्ज की गयी, अर्थात् म्युटेशन क्रमांक 2858 के द्वारा यह प्रमाणित है कि नत्थे खां की मृत्यु दिनांक 10.08.1991 या इससे पूर्व हो चुकी थी। अपीलाधीन म्युटेशन कमांक 1798 द्वारा विवादित जमीनों को गेर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदत्त कर दिये गये एवं यह कार्य रेस्पोडेण्ट संख्या 07 ने सन 1992 के समस्या समाधान शिविर मे दिनांक 08.06.92 को किया। जबकि 08.06.92 को नत्थे खां जीवित ही नही थे, किन्तु पूर्णतः अवैधता बरतते हुऐ मृतक व्यक्ति को न केवल खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये, वरन् एक ही दिन में बिना विधिवत् प्रकिया अपनाये खातेदारी अधिकार प्रदत्त कर अपीलाधीन म्युटेशन सेंक्सन कर दिया गया। जो अवैध विधिविरूद्ध व निरस्त योग्य है। चूंकि नत्थे खां की मृत्यु पश्चात् जमीने उनके बजाय विरासत से रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 के नाम पर खातेदारी हक से अंकित हो गयी, एवं इन व्यक्तियों ने उक्त जमीनों को रेस्पोडेण्ट संख्या 5 व 6 को अन्तरित कर दी, इस कारण उन्हे भी पक्षकार बनाया गया है। चूंकि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 6 ने आराजी नम्बर 289/36 रकबा 00.05 बिस्वा एवं 648/25 मे से रकबा 2 बिस्वा भूमि पर जबरन कब्जा करने का षडयन्त्र रचा, तब अपीलार्थी को जानकारी होने पर 29.07.2015 को पुलिस अधीक्षक महोदय, राजसमन्द एवं थानेदार साहब केलवाडा को शिकायत प्रस्तुत की। अपीलाधीन म्युटेशन कमांक 1798 अवैध, विधि विरूद्ध व प्राकृतिक न्याय सिद्वान्तो के विपरित होकर निरस्त योग्य है। म्युटेशन

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

नम्बर 1798 द्वारा मृतक व्यक्ति नत्थे खां को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये है, जो संविधान व कानून के सर्वथा विपरित होकर प्रारम्भतः व्यर्थ व शून्य है। म्युटेशन कमांक 2858 द्वारा विरासत से भूमियाँ नत्थे खां की बजाय मेहबुब खां के नाम पर अंकित हुई, जिसके कलम संख्या 14 मे नत्थे खां की मृत्यु दिनांक 10.08.91 को दर्शित हो रही है, जबकि इस दिनांक से काफी वर्ष पूर्व हो चुकी थी, एवं म्युटेशन नम्बर 2858 मे वर्णित अनुसार नत्थे खां की मृत्यु 10.08.91 को होना साबित माना जावे, तब भी अपीलाधीन म्युटेशन 1992 में स्वीकृत किया गया। जो एक मृतक व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान कर रहा है, इस कारण यह म्युटेशन निरस्त योग्य है। म्युटेशन नम्बर 1798 की स्वीकृति से पूर्व खातेदारी अधिकार प्रदान करने से पूर्व कोई पालना नही की गयी है। मौके की कोई जाँच नहीं की गयी है। यदि मौके पर जॉच की जाती तो विवादित आराजीयात पर कब्जा, आधिपत्य नत्थें खां/उनके वारिसान का नही पाया जाकर आराजी नम्बर 289/36 एवं 648/25 पर कब्जा अपीलार्थी का पाया जाता एवं कब्जा विहिनता की स्थिति में नत्थें खां या उनके वारिसान को खातेदारी अधिकार किसी भी सुरत में नही मिल सकते, परन्तु इस मामले में खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने से पूर्व विधिवत् कोई जाँच नही की गयी एवं ऑख बन्द करके समस्या समाधान शिविर के नाम पर म्युटेशन कमांक 1798 तत्काल पटवारी हल्का ने बिना समुचित आदेश के भर दिया एवं उसी दिन बिना कोई जॉच किये तहसीलदार जी ने नामान्तरकरण स्वीकृत कर भयंकर भूल की है। विवादित आराजी नम्बर 289/36 के नये नम्बर 5301/289 648/25 के नए नम्बर 5302/648 एवं 429/4 के नये नम्बर 5303/429 डाले गये है एवं ये जमीने प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के नाम पर अंकित की जा चुकी है, यद्धपि रेस्पोडेण्ट संख्या 5 व 6 का कब्जा आराजी नम्बर 5301/289 रकबा 00.05 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 5302/648 रकबा लगभग 2 बिस्वा भूमि पर कब्जा नहीं कर पाये है। उक्त म्युटेशन नम्बर 1798 की स्वीकृत दिनांक 08.06.92 से पूर्व ही कब्जा उक्त अनुसार अपीलार्थी का चला आ रहा था। अतः प्रार्थना है कि अपील, अपीलार्थी मन्जूर की जाकर रेस्पोडेण्ट संख्या 7 तहसीलदार जी कुम्भलगढ द्वारा स्वीकृत म्युटेशन नम्बर 1798 दिनांक 08.06.92 जिसके द्वारा नत्थे खां पिता रमजू खां मुसलमान को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये, निरस्त/अपास्त किये जावे।

अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2/1, 2/2 व 3, बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की आज्ञा पारित की गयी। तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर पालीवाल ने उपस्थिति दी। रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश तलेसरा ने उपस्थिति दी। रेस्पोडेन्ट संख्या 7 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर अपील को अवधि मे शुमार किया जाता है।

उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने बहस कथन में अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि ग्राम केलवाडा की आराजी नम्बर 289/36 रकबा 00.05 बिस्वा आराजी नम्बर 648/25 रकबा 00.12 बिस्वा एवं 429/4 रकबा 00.05 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा नत्थे पिता रमजू खान मुसलमान को मिसल नम्बर 207 दिनांक 23.01.1975 द्वारा उप जिलाधीश महोदय, राजसमन्द द्वारा अलोट की गयी, जिसका अंकन नामान्तरकरण संख्या 896 द्वारा नत्थे खां के नाम पर किया गया। इन जमीनों में से 289/36 रकबा 00.05 बिस्वा एवं 648/25 रकबा 00.12 बिस्वा भूमि में से रकबा 2 बिस्वा भूमि पर अपीलार्थी का लगभग 24–25 वर्षों से कब्जा आधिपत्य है। नत्थे खां पिता रमजू खां की मृत्यु 10.08.1991 का होना बताकर म्युटेशन कमांक 2858 द्वारा नत्थे खां की जमीनें रेस्पोडेण्ट मेहबुब खां वगैरह के नाम पर दर्ज की गयी, अर्थात् म्युटेशन क्रमांक 2858 के द्वारा यह प्रमाणित है कि नत्थे खां की मृत्यु दिनांक 10.08.1991 या इससे पूर्व हो चुकी थी। अपीलाधीन म्युटेशन कमांक 1798 द्वारा विवादित जमीनों को गेर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदत्त कर दिये गये एवं यह कार्य रेस्पोडेण्ट संख्या 07 ने सन 1992 के समस्या समाधान शिविर मे बिना जॉच पडताल के दिनांक 08.06.92 को किया। जबकि 08.06.92 को नत्थे खां जीवित ही नही थे, किन्तु पूर्णतः अवैधता बरतते हुऐ मृतक व्यक्ति को न केवल खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये, वरन् एक ही दिन में बिना विधिवत् प्रकिया अपनाये खातेदारी अधिकार प्रदत्त कर अपीलाधीन म्युटेशन सेंक्सन कर दिया गया। जो अवैध विधि विरूद्ध व निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना है कि अपील, अपीलार्थी मन्जूर की जाकर तहसीलदार कुम्भलगढ द्वारा स्वीकृत म्युटेशन नम्बर 1798 दिनांक 08.06.92 जिसके द्वारा नत्थे खां पिता रमजू खां मुसलमान को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये, निरस्त/अपास्त किये जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 04, 05 व 06 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलार्थी को उक्त अपील करने का काई अधिकार/लोकस स्टेण्डाई नही हैं। आवंटन निरस्तीकरण करने के लिए अपीलार्थी को राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14(4) में प्रकरण प्रस्तुत करना चाहिए था। आवंटन के 17 वर्षो के पश्चात खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे। अपील प्रारम्भ से ही आधारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज फरमाई जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, कुम्भलगढ द्वारा पारित किया गया आदेश तात्कालिक नियमों के अनुसार विधिसम्मत है। अतः अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, कुम्भलगढ़ के नामांतरकरण संख्या 1798 दिनांक 08.06.1992 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। यह नामांतरकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खोला गया है, जिसमें खातेदार श्री नत्थे खाँ पिता रमजू खाँ मुसलमान, गैर–खातेदार को खातेदारी अधिकार मिलने से उसी के पक्ष में यह नामांतरकरण खोला गया। सिर्फ गैर–खातेदार के स्थान पर खातेदार अंकित किया गया।

यहाँ पर अधिवक्ता अपीलान्ट का यह कहना है कि खातेदार श्री नत्थे खाँ की मृत्यु दिनांक 10.08.1991 को ही हो चुकी थी। अतः दिनांक 08.06.1992 को जो यह नामांतरकरण खोला गया है, वह उचित नहीं है। क्योंकि किसी मृतक के विरुद्ध कोई डिक्री पारित नहीं की जा सकती है।

यहाँ पर उल्लेखनीय है कि अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा खातेदारी अधिकारों के विरोध में कोई भी तथ्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं और न ही खातेदारी अधिकार प्रदान किए जाने वाले आदेश के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत की है। उनके द्वारा मात्र नामांतरकरण की अपील की गई है। हम यहाँ पर यह देखते हैं कि श्री नत्थे खाँ को विवादित भूमि का आवंटन दिनांक 23.01.1975 को हुआ था तथा विवादित नामांतरकरण दिनांक 08.06.1992 को अर्थात उसको आवंटन किए जाने के 17 वर्ष पश्चात खोला गया है। आवंटन नियमों के अनुसार यदि किसी खातेदार द्वारा 10 वर्ष तक आवंटन शर्तों की पालना की जाती है, तो वह खातेदार माना जा सकता है। अर्थात यहाँ पर श्री नत्थे खाँ वर्ष 1985 में ही खातेदार हो चुका था। उसके द्वारा वर्ष 1985 में ही खातेदारी के अधिकार उसे प्रदान हो चुके थे। उनका राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाना, जो कि उसका कार्य न होकर राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों का काम है, उन्होंने यह कार्य उसकी मृत्यु के पश्चात दिनांक 08.06.1992 को किया। यहाँ पर यह सही है कि दिनांक 08.06.1992 को नाथे खाँ की मृत्यु हो चुकी थी, परन्तु नत्थे खाँ को खातेदारी अधिकार वर्ष 1985 में ही प्राप्त हो चुके थे, जिनका अंकन राजस्व रिकॉर्ड में मात्र 1992 में किया गया। अतः यहाँ पर न तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय किसी मृतक व्यक्ति के पक्ष में कोई डिक्री जारी करता है और न ही कोई विरुद्ध में डिक्री जारी करता है। साथ ही नामांतरकरण जो खोला गया है, वह खातेदारी अधिकारों के आदेश की पालना में खोला गया था, जिसके विरुद्ध अधिवक्ता अपीलान्ट ने कोई भी तथ्य प्रस्तुत नहीं किए हैं।

साथ ही श्री नत्थे खाँ की मृत्यु के पश्चात यह भूमि उसके पुत्रों श्री महबूब खाँ, जमाल खाँ के नाम पर तथा श्री अशरफ खाँ, मुस्ताक खाँ पिता इस्माइल खाँ के नाम पर नामांतरकरण वर्ष 2015 में किया जा चुका है। तथा इन खातेदारों द्वारा इस भूमि को और आगे अन्य किसानों को भी विक्रय कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में इस म्यूटेशन में मैं कोई त्रुटि नहीं पाता हूँ। इस बारे में जानकारी करने पर और

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

पूछने पर अधिवक्ता अपीलान्ट ने यह कथन किया कि वह गैर–खातेदार और आवंटन नियम 1970 के उपनियम 14(4) के तहत प्रार्थना पत्र लगाना चाहता है, जो कि केवल तभी लग सकता है जबकि खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हों और राजस्व रिकॉर्ड में वह कृषक गैर–खातेदार के रूप में दर्ज हो। तो जब यह गैर–खातेदार दर्ज हो जाएगा, तो वह इसके विरुद्ध 14(4) लाया जाएगा। इसीलिए वह इस म्यूटेशन को खारिज कराना चाहता है।

यहाँ पर अपीलान्ट की जो प्रार्थना है, वह सिर्फ और सिर्फ उसकी अपनी सुविधा प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई प्रतीत होती है। अधीनस्थ न्यायालय ने जो म्यूटेशन दिनांक 08.06.1992 को पारित किया है, मैं उस नामांतरकरण में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं मानता हूँ, क्योंकि वह सक्षम अधिकारी द्वारा दिए गए खातेदारी अधिकारों की पालना में खोली गई एक राजस्व रिकॉर्ड की एंट्री है, जिसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। साथ ही विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा जो माननीय न्यायालयों की नजीरें प्रस्तुत की गई हैं, उसका सम्मानपूर्वक अध्ययन किया गया। परन्तु ये नजीरें इस प्रकरण पर लागू नहीं होती हैं। क्योंकि यहाँ पर मृतक व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं दिए गए हैं, मृतक व्यक्ति के पक्ष में या विरोध में कोई डिक्री पारित नहीं की गई है। एक मृतक काश्तकार, जो कि वर्ष 1985 में ही अपने खातेदारी अधिकार प्राप्त कर चुका था, उसकी मात्र राजस्व रिकॉर्ड में एंट्री की गई है। अतः जो भी नजीरें प्रस्तुत हैं, वो इस प्रकरण में प्रभावी नहीं हैं।

अतः यह अपील स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता हैं तथा तहसीलदार कुम्भलगढ द्वारा स्वीकृत आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 1798 दिनांक 08.06.1992 को यथावत रखा जाता है

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 06.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)